कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा।
वन भवन, चतरा – 825401
E-mail : dfo-chatrasouth@gov.in Phone : 8987790213

पत्रांक : 1055 दिनांक : 21/04/2026

प्रेषक,

भुकेश कुमार, भा0व0से0,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,चतरा।

विषय :– मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि0 द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत 132 KV D/C ईटखोरी–चतरा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 55.217 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल–53.679 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल–1.538 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– भारत सरकार ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, रांची का पत्रांक–FP/JH/TRANS/40120/2019/691 दिनांक 16.11.2022, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 1188 दिनांक 18.11.2022 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का ज्ञापांक 2587 दिनांक 18.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि विषयक प्रस्ताव पर प्रासंगिक पत्रों द्वारा भारत सरकार द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। सभी पृच्छाओं का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके पत्रांक 238 दिनांक 09.03.2026 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित की गई है। उक्त के आलोक में सभी पृच्छाओं का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
1	The KML File of total proposed forest land for diversion.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजन हेतु प्रस्तावित रकबा का KML Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है। साथ ही KML का CD भी समर्पित किया गया है जिसे संलग्न किया जा रहा है। (अनु0–1)
2	The kml of complete alignment and alternative routes of transmission line explored.	इस पृच्छा के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का Complete alignment एवं Alternative routes का KML फाईल परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ किया गया है। साथ ही KML का CD भी समर्पित किया गया है जिसे संलग्न किया जा रहा है। (अनु0–1)
3	As per Geotechnical observation, it appears that proposed forest proposed for diversion has already been violated by User Agency by starting the work in forest before the required permission. If, so, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/ submitted to this office along with the explanation why the forest department could not assess the violation while processing the application.	• विषयगत परियोजना में अधिसूचित वन भूमि पर भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा–टोनाटाँड़ में एक (1) एवं मौजा– हुरनाली में एक (1) कुल – 2(दो) टॉवरों का निर्माण किया गया है। • वनभूमि में अवैध रूप से किये गये टॉवर निर्माण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी पदाधिकारी विरूद्ध वन वाद दर्ज करते हुए इस कार्यालय के ज्ञापांक 64 दिनांक 06.01.2024 द्वारा वाद का अभियोजन मुख्य न्यायिक दण्ड़ाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। वर्तमान मे यह मामला मुख्य न्यायिक दण्ड़ाधिकारी के न्यायालय में लंबित है। (अभियोजन प्रतिवेदन संलग्न अनु0–2)

		(क) दोनों टॉवर के निर्माण में कम में प्रभावित अधिसूचित वनभूमि का कुल रकबा 0.01620 हे0 है। (ख)दोनो टॉवर के निर्माण हेतु दोषी पदाधिकररियों का नाम निम्नवत् है। 1. सुनील कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड़ उर्जा संचरण नि0लि0, चतरा। 2. प्रमोद कुमार सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर,के0 रामाचन्द्रा राउ ट्रांसमिसन एण्ड़ प्रोजेक्ट प्रा0 लि, एच0आई0–199, एच0एच0 कॉलोनी, रांची–834002. दोनों पदाधिकारियों का नाम का उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित है। विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर किये गये टॉवरों का निर्माण के विरूद्ध दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु एवं उल्लंघन से प्रभावित रकबा उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2150 दिनांक 04.09.2023 द्वारा उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था। उक्त मामलें में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक. 67 दिनांक 08.01.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम,1980 का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) को चिन्हित करने हेतु समिति का गठन किया गया। उल्लंघन किये जाने से संबंधित मामले में गठित समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में उनके ज्ञापांक 406 दिनांक 23.02.2026 द्वारा गैर मजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में अवैध रूप से निर्माण किये गये टॉवरों की सं0–39 एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.52494 उल्लेखित है। साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा उल्लंघन से प्रभावित रकबा पर पीनल एन0पी0भी0 लगाने हेतु अनुशंसा किया गया है। (उपायुक्त का प्रतिवेदन संलग्न अनु0–3) • वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंड़ल द्वारा विषयक परियोजना का दिनांक 06.09.2021 एवं दिनांक 29.11.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में वनभूमि पर अवैध रूप से किये गये टॉवर निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है।(स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न अनु0–4) 1.उक्त से संबंध में यह संभव है कि वन प्रमंड़ल पदाधिकारी द्वारा जिन स्थलों का निरीक्षण किया गया होगा उन स्थलों पर उस समय टॉवर का निर्माण नहीं किया गया होगा। 2.चूँकि विषयक परियोजना में कुल 194 टॉवरो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। यह संभव है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी टॉवरो का सभी टॉवरों का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया होगा, जिनमें से इन अवैध टॉवरों का निर्माण कराया गया होगा।
4	As per Geo-spatial analysis, it also appears that the transmission line has already been installed and in the uploaded KML, the user agency has tampered with the actual transmission line routes. Situation may be explained.	इस पृच्छा के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है– (a) There has been no intentional tampering of the KML file uploaded on the Parivesh portal. (b) The alignment KML was initially uploaded in segment/patches based on the information available at the time. Consequently, the portal displayed an incomplete/ fragmented alignment, which would

		have appeared inconsistent during geospatial analysis. Also, a complete and consolidated alignment KML of the transmission line is prepared and submitted in soft copy (CD) by user agency which is annexure-I
5	Three Cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous. Therefore, unnecessary files/documents should be removed.	इस पृच्छा के निराकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit Analysis समर्पित किया गया है, जिसे संलग्न किया जा रहा है। (अनु0–5)
6	The user agency should submit an undertaking to abide the Chief Wildlife Warden's recommendation and also should submit the draft framework for mitigative measures/ plans alongside.	इस पृच्छा के निराकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण योजना का सम्मान एवं पालन करने से संबंधित बचनबद्धता समर्पित किया गया है जिसे संलग्न की जा रही है। (अनु0–6)

अतः निराकरण प्रतिवेदन की 7 मूल प्रतियाँ अत्र–सह–संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी

21/4/2026

वन प्रमंडल पदाधिकारी

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल,चतरा।